

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल
शीमली कच्छुडेनी बनाम जमश्रीश सिंह (कौरा)

क्रिस्म मुकदमा ... प्र.पत्र 111-12-8 नं० 44 मस 2021

दिनांक

हुकम या कार्रवाई मय इनिशयल्स जज

नम्बर व कार्यवाही अहकाम जो हुकम हुकम की कार्यवाही में जारी हुक

5-3-21

बाद / प्राथनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयता को सम्मान नोटिस जारी किये जाते । पत्रावली दिनांक 16-4-21 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

16-4-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30/4 को पेश हो ।

30/4

पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 18/5 को पेश हो ।

18/5/21

उभय पक्ष उपखण्ड अधीनस्थ अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है, अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो ।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29/6/21

पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 3-12-21 को पेश हो ।

3-12-21

पत्रावली पेशासन गाँवों के लोग अग्रियान 2021 के अग्रियान पत्रावली पेशासन में पेश हुई, अग्रियान के समान बाद तमिल होकर प्राप्त हुए एवं बहसिनगर भांडल से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शा.पत्र किया गया। अग्रियान का अग्रियान स्वीकार किया जाकर निर्णय सपक से किया गया शा.पत्र किया गया पत्रावली के लाल शुमार होकर नम्बर से कसली

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

ग्रामासन गाँवों के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

ठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

ए संख्या :- 44/21 रा. पत्र

गिवासी कम्बुदेवी 40 दुर्गासिंह वरोगा गिवासी-केरिया तहसील मांडल (भीलवाड़ा) --प्रार्थी

बनाम

श्री 02गदीशसिंह 51. श्री गणेशसिंह दोगा गिवासी-केरिया तहसील मांडल (भीलवाड़ा) --विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 02-10-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर किया कि ग्राम... देवीपुरा ...पटवार हल्का... केरिया तहसील मांडल/में उसके संयुक्त खातों की आराजी नं... 678, 679 ...कुल किता ... 02 ... 0-3667 हेक्टेयर... स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी पत्रा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक... 15.3.21...को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का री है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक तके आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम... देवीपुरा ...हल्का... केरिया...तहसील मांडल में स्थित आराजी नं... 678, 679 ...कुल किता ... 02 ...रकबा... 0-3667 हेक्टेयर... -

चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है । गद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक... आलभास को 400/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । र फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, मांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

पि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा करान पर नियमानुसार पत्थरगद्दी पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021